रामगंजमण्डी

23/2/21	पत्रावली पेश। वकील वादी/प्रार्थी उपस्थित है/ बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर विचार किया गया। दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहरा कर कथन किये कि प्रार्थी कंपनी द्वारा हाल खसरा नम्बर 220 के पुराने खसरा नम्बर की भूमि वर्ष सन् 1984 में खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। प्रार्थी कम्पनी के नाम नामान्तरकरण दर्ज हो चुका था, किन्तु नामान्तरकरण संख्या 70

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

क्रमशः—

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दि. 16.8.84 का अमल नहीं किया जाकर भूमि को पुनः अप्रार्थीगण के नाम पर दर्ज कर दिया थी उक्त लेखकीय त्रुटि को दुरुस्त किया जाकर उपरोक्त भूमि को पुनः प्रार्थी कंपनी के नाम पर दर्ज किया जावे।	
	बाद बहस हमने प्रकरण का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के कथन, वर्णित तथ्य, वांछित अनुतोष, जवाब सरकार, एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पर सम्यक विधिसंगत विचार किया गया।	
	अपने कथनों के समर्थन में प्रार्थी द्वारा पावर ऑफ अटार्नी, दि. 21.6.2010, नकल फर्द मिलान ग्राम अमृतखेड़ी सन् 2004-24 नकल जमाबंदी ग्राम अमृत खेड़ी 2039-42 खाता नं. 35, संवत 2044-47 खाता नं. 35, संवत 2048-51 खाता नं. 35, संवत 2052-55 खाता नं. 40, सन् 2004-24 (बन्दोबस्त) खाता नं. 32, संवत 2069-72 खाता नं. 14, नकल नक्शा मौजा अमृतखेड़ी उर्फ जोगणखेड़ी सं. 2010-11, नकल नक्शा सन् 2001-02 नकल नामा० 64 ग्राम अमृतखेड़ी, नकल नामा० 70 दि. 16.8.84 ग्राम अमृतखेड़ी.	

उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर

क्रमशः-

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नकल खसरा अमृतखेड़ी के 183, 184, 182, 282, छायाप्रति रजिस्टर्ड बयनामा सं० 12000 दि. 18.4.84 पुस्तक सं. 1 जिल्द नं. 10 क्रम सं. 174 पृष्ठ सं. 195, छायाप्रति कार्यालय तहसीलदार के क्रमांक/भू.अ./15/8539 दि. 14.11.15 व जमाबन्दी संशोधित रिपोर्ट आदि, नकल जमाबंदी ग्राम अमृतखेड़ी 2073-76 खाता नं. 18,	
	प्रकरण में जवाब पैरोकार सरकार दि० 19.10.2020 में प्रार्थना पत्र प्रार्थी को अनुतोष हेतु उचित अंकित किया गया है।	
	हस्ब रजिस्टर्ड बयनामा प्रार्थी द्वारा अ० रसीद s/o नियाज मोहम्मद से ग्राम अमृतखेड़ी की भूमि खसरा नम्बर 183 रकबा ०॥)३ को क्रय किया गया थी उक्त भूमि खातेदार नामान्तरकरण नम्बर 64 से विक्रेता के नाम पर दर्ज की गई थी पूर्व में उक्त भूमि मांगीलाल s/o नन्दराम धाकड़ के नाम पर दर्ज थी इस प्रकार उक्त भूमि खसरा नम्बर 183 रकबा ९२॥।)३ में से ०॥)३ प्रार्थी कम्पनी के नाम दर्ज होना प्रमाणित है।	
	उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	क्रमशः

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	संवत 2039-42 की जमाबन्दी का कोई परिवर्तन आगामी जमाबंदी 2044-47 में अंकित नहीं किया जाकर भूमि को पुनः मूल खातेदार के नाम पर अंकित रहने दिया गया। अर्थात नवीन जमाबंदी तैयार करते समय L.R. Rules. 1957 के नियमों का उल्लंघन किया जाकर नामान्तरकरण नम्बर 64 एवं 70 का अमल दरामद नहीं किया गया। यही स्थिति संवत 2052-55 तक की जमाबंदी में बदस्तूर रखी जाकर खसरा नम्बर 143 का पूरा रकबा 13.11 मांगीलाल पुत्र नन्दराम धाकड़ के नाम लिखा जाता रहा जबकि उक्त खातेदार के नाम पर मात्र 5) भूमि दर्ज की जानी चाहिये थी, अर्थात खसरा नं० 143 में से 5) भूमि ही मूल खातेदार मांगीलाल के अवशेष रहनी थी, किन्तु नामा० नं० 64 एवं तदुपरान्त 70 का अमल नहीं किये जाने से मूल खातेदार के नाम पर सम्पूर्ण खसरा नम्बर दर्ज रह गया, जो मात्र लिखावटी ही है।	

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

क्रमशः -

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	मूलतः जिस भूमि को खातेदार द्वारा बेचान किया उस भूमि पर से धारा 63 R.T. Act अनुसार खातेदारी स्वत्व का अवसान हो जाता है, तथा बेचान के उपरान्त बेचानकर्ता का नाम दर्ज रहना व तदुपरान्त बेचानकर्ता के वारिसान का नाम दर्ज हो जाना भी रिवाबरी ही है।	
	मांगीलाल के बाद वफात बेचानशुदा भूमि पर मांगीलाल के विधिक वारिसान का नाम भी मात्र रिवाबरी ही है। क्योंकि खसरा नम्बर १४२ कुल रकबा १२।।।)३ में से ।।।)२ पर अप्रार्थीगण का नाम स्वत्व विहीन अवस्था में अंकित किया हुआ है।	
	चूंकि प्रकरण में भूमि पर प्रार्थी कम्पनी का नाम दर्ज होने के उपरान्त भी हटा दिया है, जो एक लेखकीय त्रुटि है। उक्त त्रुटि को विधि के सुसंगत प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं ठहराया जा सकता।	
	अतः गुणावगुण के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते है, कि ग्राम अमृतखेड़ी की भूमि खसरा नम्बर 220	
	उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	
	क्रमशः	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कुल रकबा 2.15 हेक्टर में से 1.545 हे० का प्रार्थी कम्पनी के नाम दर्ज किया जावे। बकाया अंकन बदस्तूर रहे। रिकार्ड में अमल दरामद हो। निर्णय आज दि० 23.02.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया। (देशल दान) I.A.S. उपखण्ड अधिकारी [illegible]	